L. A. BILL No. CI OF 2025.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE HYDERABAD ABOLITION OF INAMS AND CASH GRANTS ACT, 1954.

विधानसभा विधेयक क्रमांक १०१ सन् २०२५।

हैदराबाद ईनाम और नक़द अनुदानों का उत्सादन अधिनियम, १९५४ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् १९५५ का हैदराबाद अधिनियम क्रमांक ८।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, हैदराबाद ईनाम और नक़द अनुदानों का उत्सादन अधिनियम, १९५४ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर हैं ; अतः भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में, एतद्व्दारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम हैदराबाद इनाम और नकद अनुदानों का उत्सादन (संशोधन) अधिनियम, २०२५ कहलाए ।

सन् १९५५ का हैदराबाद अधिनियम क्र. ८ की धारा ६ में संशोधन।

२. हैदराबाद इनाम और नकद अनुदानों का उत्सादन अधिनियम, १९५४ की धारा ६ की उप-धारा (३) के खण्ड (ख) में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्न परंतुक जोडा जाएगा, अर्थात् :— सन् १९५५ का हैदराबाद अधि, क्र. ८।

"परंतु आगे यह कि, प्रारम्भण के दिनांक से पूर्व, मदद माश इनाम भूमि का ऐसा कोई अधिभोग, जो नए और अविभाज्य भू-स्वामित्व (अधिभोग वर्ग-दो) पर धारित है, पहले ही जिलाधिकारी या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, अधिभोगी द्वारा आवासीय प्रयोजन के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है, ऐसे स्थानांतरण को जिलाधिकारी द्वारा किसी भी राशि का भूगतान किए बिना, ऐसे स्थानांतरण के प्रमाण के रूप में बिक्री विलेख, उपहार विलेख, पट्टा विलेख आदि, जैसे रजिस्ट्रीकृत लिखतें प्रस्तुत करने पर, एक आदेश द्वारा विनियमित किया जा सकता है ; और तत्पश्चात् ऐसी भूमि, ऐसे आदेश के दिनांक से महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ के उपबंधों के अनुसरण में अधिभोगी वर्ग एक के रूप में ऐसे अंतरिती अधिभोगी द्वारा धारित की गई समझी जाएगी ।" सन् १९६६ का महा. ४१।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

हैदाराबाद इनाम और नक़द अनुदानों का उत्सादन अधिनियम, १९५४ (सन् १९५५ का हैदराबाद अधिनियम क्र. ८) महाराष्ट्र राज्य के हैदराबाद क्षेत्र में इनाम और नक़द अनुदान को समाप्त करने के लिए उपबंध करता है। मूल रूप से उक्त अधिनियम की धारा ६ की उप-धारा (३) में यह उपबंध है कि, धारा ६ की उप-धारा (१) के अधीन दिया गया अधिभोग जिलाधिकारी की पूर्व मंजूरी बिना और राज्य सरकार को एक कतिपय राशि के भुगतान के बिना, अन्तर और सीमा द्वारा हस्तांतरणीय या विभाजनीय नहीं होगा।

२. ऐसी मदत्माश इनाम भूमि के बडे पैमानेपर अधिभोगियों ने उक्त अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए ऐसी भूमि का हस्तांतरण किया है। इसलिए, सरकार ने सन् २०१५ के महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २५ द्वारा उक्त अधिनियम की धारा ६ की उप-धारा (३) को प्रतिस्थापित किया है और राज्य सरकार को ऐसी भूमि के विद्यमान बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत का भुगतान और कतिपय शास्ति नजराना के रूप में इनाम भूमि के अंतरण, नियमितीकरण, अनधिकृत अन्तरण का विनियमितीकरण और अधिभोग के रूपांतरण का उपबंध किया है ।

जन प्रतिनिधियों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों और सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिश को ध्यान में लेकर सरकार ने, महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७ द्वारा ऐसी इनाम भूमि के अंतरण, नियमितीकरण और अधिभोग के रूपांतरण के लिए ऐसे नजराणा की राशि को ऐसी भूमि के विद्यमान बाजार मूल्य के पाँच प्रतिशत तक कम कर दिया है।

३. कई अधिभोगियों ने ऐसी भूमि पर मकान सन्निर्मित किए है जो अवैध रूप से अंतरित किए गए हैं और कई वर्षों से वहाँ निवास कर रहे हैं। यह देखा गया है कि ऐसे नियमितीकरण के लिए नजराणा राशि कम करने के पश्चात् भी बडी संख्या में ऐसे अधिभोगी ऐसे विनियमितीकरण के लिए नजराणा देने के लिए आगे नहीं आ रहें हैं । इसलिए, सरकार, जनहित में, उक्त अधिनियम की धारा ६ की उप-धारा (३) में संशोधन करना इष्टकर समझती है, ताकि जिलाधिकारी द्वारा केवल निवासीय प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अंतरण को बिना किसी नजराणा के भूगतान और ऐसे अंतरण के प्रमाण के रूप में एक रजिस्ट्रीकृत लिखतों को प्रस्तुत करने पर विनियमितीकरण करने के लिए उपबंध किया जा सके और तत्पश्चात् ऐसी भूमि ऐसे अंतरित अधिभोगी द्वारा वर्ग एक अधिभोगी के रूप में धारित मानी जाएगी ।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

नागपूर,
दिनांक ९ दिसंबर २०२५।

चंद्रशेखर बावनकुळे,
राजस्व मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),
श्री. अरूण कमळाबाई वाळू गिते,
प्रभारी भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

विधान भवन,
नागपूर,
दिनांक ९ दिसंबर, २०२५।

जितेंद्र भोळे,
सचिव-१,
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मुद्रणालय, नागपूर.